संख्या-06/2024/263/58-2024/1596058

प्रेषक,

विनय कुमार,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 26 फरवरी, 2024**

विषयः- अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-केन्द्रीय निदेशालय की योजना के मानक मद 27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि रू0-10.00 लाख को(रू0 दस लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-129/बजट/2023-24, दिनांक 08.02.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रादेशिक फल, शाकभाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी वर्ष 2024 के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-केन्द्रीय निदेशालय की योजना के मानक मद 27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि रू0-10.00 लाख (रू0 दस लाख मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।
2. प्रस्ताव में ऑकड़ों की शुद्धता का दायित्व वित्त नियंत्रक, उद्यान का होगा।
3. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह वित्त नियंत्रक का उत्तरदायित्व रहेगा।
4. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त

औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

5. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. निदेशक, उद्यान सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

7. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

8. कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य व कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

9. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-02/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक: 17.03.2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 010 **लेखा शीर्षक** 2401000010300 केन्द्रीय निदेशालय **मानक मद** 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(विनय कुमार)
उप सचिव।

संख्या- 06 /2024/263(1)/58-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

2- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। द्वारा-निदेशक

4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार)
उप सचिव।

https://shasanadesh